# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

**(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)**

**अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–52/2021/जिला टोंक**

शंकर पुत्र कालू, जाति मीणा, निवासी ग्राम रूपवास, तहसील उनियारा, जिला टोंक।

––अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार जी, बनेठा, उनियारा जिला टोंक।

**––रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, टोंक दिनांक 11.08.2021 जो अपील संख्या 37/2021 बउनवानी शंकर बनाम नायब तहसीलदार बनेठा में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री हेमराज गुप्ता (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

**निर्णय** दिनांकः–30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्ध एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 283/2021 दर्ज कर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.03.2021 से अपीलांट को दोषी मानते हुए खसरा नम्बर 162, रकबा 0.30 हे0 ग्राम रूपवास किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किया जाने का आदेश दिया गया तथा पैनल्टी के अर्थदण्ड एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में की गई। उक्त अपील को 37/2021 नम्बर दिया गया। इस पर निर्णय करते हुए दिनांक 11.08.2021 को अपीलांट की अपील उनके द्वारा खारिज कर दी गई तथा नायब तहसीलदार का निर्णय दिनांक 26.03.2021 यथावत रखा गया। जिला कलक्टर टोंक के इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट 1956 में की गई है।

अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 11.08.2021 नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा प्रकरण संख्या 283/2021 में दिया गया निर्णय दिनांक 26.03.2021 प्रस्तुत किये। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही एक अन्य शपथ पत्र इस बाबत पेश किया है कि उसका अब विवादित भूमि पर कोई दावा नहीं है तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के मुख्य आधार निम्नानुसार बताये गये है–

1. सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
2. अपीलांट को बिना आधार पश्चातवृति अतिक्रमी माना गया, जबकि भौतिक रूप से अपीलांट को कभी भी बेदखल नहीं किया जा सकता है।
3. मौके पर अब कोई कब्जा नहीं है इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के समक्ष शपथ पत्र भी दिया था। वर्तमान मे भी अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः अपील स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार बनेठा के निर्णय दिनांक 26.03.2021 तथा जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 11.08.2021 निरस्त किया जायें।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई, अपीलांट अभिभाषक ने बताया कि विवादित खसरा नम्बर 162 गैरमुमकिन रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिया। शपथ पत्र दिया गया। राजकीय अभिभाषक ने अपनी आपत्ति दर्ज करवायी और कहा कि आपत्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जायें। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय संबंधित दस्तावेजों, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु को देखा गया। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 11.08.2021 का है तथा अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 21.08.2021 को अपील दर्ज करवाया जाना पाया जाता है। अतः अपील अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना पायी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार वह परिवार में अकेला व्यक्ति है जो परिवार का भरण–पोषण करता है। यदि उसे गिरफतार कर लिया जाता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भारी क्षति होगी तथा अपूरणीय आर्थिक तथा मानसिक क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः अपीलाधीन दोनो आदेश अपील निर्णय होने तक स्थगित रखे जायें।

सर्वप्रथम नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा मिशल नम्बर 283/2021 निर्णय दिनांक 26.03.2021 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में मुख्य रूप से अपीलांट के पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कठोर कार्यवाही हेतु मन बनाया था तथा संवत 2077 में पत्रावली संख्या 1734/2020 का उल्लेख करते हुए अपीलांट को खसरा नम्बर 162 रकबा 0.30 हे0 गैरमुमकीन रास्ते पर सरसों की फसल काश्त करने से दोषी माना तथा बेदखली पैनल्टी का अर्थदण्ड एवं पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए 60 दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण संख्या [illegible]/2021 की पटवारी रिपोर्ट रबी 2077 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 162 के 0.30 हे0 क्षेत्र में सरसों बोई हुई है तथा रिपोर्ट केफियत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43 IST
Reason: SelfAttested

पश्चातवृति अंकित किया है। उक्त रिपोर्ट किस दिनांक की है यह अंकित नहीं है। उक्त रिपोर्ट पटवारी ककोड़ द्वारा तैयार की गई है। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत ककोड़ मुख्यालय पर 10 बजे अपीलांट को दिनांक 08.03.2021 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया था। इसी नोटिस में संवत 2076 में भी अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानने का अंकन किया है। उक्त नोटिस दिनांक 12.01.2021 को जारी किया हुआ है। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर यह अंकित किया हुआ है ''शंकर पुत्र कालू मीणा बाहर गांव गया बताया एक पड़त नोटिस इसके मकान पर चस्पा किया गया। गवाह में दो लोगों के नाम अंकित है। इसके बाद दिनांक 26.03.2021 को 10 बजे पुनः बनेठा में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस दिनांक 09.03.2021 को जारी किया गया है। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर यह अंकन किया है कि काली मां दिया'' पत्रावली पर संलग्न पूर्व मिसल नम्बर 1734/2020 का अवलोकन किया गया। संवत 2077 में ही खसरा नम्बर 162 में 0.20 हे0 पर अपीलांट का जोत व कब्जा बताया है। उक्त पूर्ववर्ती पत्रावली में दिनांक 03.11.2020 को निर्णय दिया गया था। जिसमें बेदखली और फसल नीलाम करने के निर्देश थे। बेदखली कार्यवाही पर शंकर अंकित है। बेदखली कार्यवाही विवरण फोर्मेट के रूप है जिसमें कुछ बातें पहले से प्रींटेड की हुई है तथा खाली स्थान पर उपर्युक्त विवरण बाद में दर्ज किये हुए है। बेदखली कार्यवही में फोर्मेट में यह अंकित किया हुआ है कि मौके पर उपस्थित मौतविरान के सामने बेदखल किया गया तथा उक्त फसल कब्जे राज की गई। उक्त कार्यवाही बाद आवाज पढ़कर सुनाई व पढ़ा , सुनाकर हस्ताक्षर करवायें गये। उक्त फोर्मेंट के नीचे की ओर शंकर अंकित है तथा पटवारी और गिरदावर के हस्ताक्षर है। बेदखली कब की गई इसकी कोई तारीख उक्त फोर्मेंट पर अंकित नहीं की गई है। प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय टोंक के निर्णय दिनांक 11.08.2021 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2021 का अवलोकन किया गया। अपने निर्णय में जिला कलक्टर टोंक में यह माना है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलांट की माता पर विधिवत रूप से तामील हुई है तथा अतिक्रमण के संबंध में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है तथा अपीलांट न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा में तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होना माना है।

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा में अपीलांट की तामील में बिन्दु को देखा है। प्रथम नोटिस नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस के द्वारा यह बताया गया है कि अपीलांट अन्य गांव गया हुआ था तथा नोटिस उसके मकान पर चश्पा किया गया था। द्वितीय नोटिस दिनांक 09.03.2021 को जारी किया गया था जिसमें जानकारी आती है कि काली मां को दिया और अंगूठा निशानी दर्ज है।

सी0पी0सी के आदेश 5 नियम 9 से 26 में सम्मन की तामील के बारे में बताया गया। नियम 12 में यह बताया गया कि सम्मन की तामील स्वयं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: Self Attested

पर अथवा उसके अभिकर्ता पर की जायें। नियम 15 में प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों पर तामील की जा सकेगी। यह बताया गया है। नियम 16 में वे व्यक्ति जिस पर तामील की गई है। अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। नियम 17 में प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से स्वीकार करें या न पाया जाये तब क्या प्रक्रिया रहेगी यह बताया गया है। नियम 18 में तामील करने के समय और रिति का पृष्ठांकन किया जाने के बारे में बताया गया है। नियम 19 में तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा का विवरण है। नियम 20 में प्रतिस्थापित तामील का विवरण दिया गया है। वर्तमान प्रकरण में व्यक्तिगत तामील का अभाव है तथा न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा तामील करवाने वाले व्यक्ति/कार्मिक की परीक्षा आदेश 5 नियम 19 के तहत नहीं ली गई। शंकर को व्यक्तिगत तौर पर तामील नहीं हुई है। एक बार वह घर के बाहर था दूसरी बार काली जो उसकी मां बतायी गई है को तामील प्राप्त होना बताया गया है। अतः शंकर की सम्यक तामील नहीं होना जान पड़ता है।

शंकर को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा साठ दिवस के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके आधार नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण संख्या 1734/2020 नायब तहसीलदार बनेठा न्यायालय दिनांक 03.11.2020 को माना गया। उक्त प्रकरण से संबंधित बेदखली कार्यवाही को देखा गया। उक्त बेदखली कार्यवाही पर पटवारी,गिरदावर के हस्ताक्षर है। एक कोने पर शंकर लिखा हुआ है। एक खाली लाइन खिंची हुई है। मगर यह बेदखली कार्यवाही किस दिनांक को की गई है यह अंकित नहीं किया गया है। साथ ही किन स्वतंत्र गवाहों के सामने उक्त कार्यवाही की गई है यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसी अवस्था में बेदखली कार्यवाही को कागजी कार्यवाही माना जायेंगा तथा इसी बेदखली कार्यवाही के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 283/2021 में अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना और जिसे बाद में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी मान लिया गया।

उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि शंकर पर प्रकरण संख्या 283/2021 में सम्यक व्यक्तिगत तामील नहीं हुई थी। साथ ही प्रकरण संख्या 1734/2020 में नायब तहसीलदार बनेठा के प्रकरण को आधार पर मानते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना था। जबकि प्रकरण संख्या 1734/2020 में कागजी तौर पर अपीलांट को बेदखल किया जाना दृष्टिगोचर होता है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है। अपीलांट के विरूद्ध जारी सिविल कारावास की सजा को अपास्त किये जाने योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 283/2021 दिनांक 26.03.2021 का नायब तहसीलदार बनेठा ने दी हुई सिविल कारावास की साठ दिवस की सजा तथा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर टोंक द्वारा उक्त सजा को प्रकरण संख्या 37/2021 निर्णय दिनांक 11.08.2021 को बहाल रखा गया था को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested